I/105262/2023

ई० पत्रावली सं०-50524

प्रेषक,

रमेश कमार सुधांशु
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 10 मार्च, 2023

विषयः रामनगर एवं काशीपुर खण्डों में जी०-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन हेतु प्रयोग में आने वाले मार्गों के सुधार कार्यों को चयन अनुबन्ध के माध्यम से करांने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में जी०-20 शिखर सम्मलेन (प्रथम चरण) का आयोजन रामनगर, जनपद नैनीताल में दिनांक 26.03.2023 से 28.03.2023 तक किया जा रहा है। उक्त आयोजन में भाग लेने वाले अति विशिष्ट अतिथियों द्वारा लोक निर्माण विभाग के रामनगर एवं काशीपुर खण्ड के अन्तर्गत अवस्थित मार्गों का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित होने के कारण मार्गों पर सुधारीकरण, मार्ग सुरक्षा व सौन्दर्यकरण का कार्य तत्काल किया जाना आवश्यक है।

2- अतः उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रामनगर में होने वाले जी० -20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में अल्प अवधि शेष रहने, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में चयनित अनुबन्ध गठित करने का प्रावधान नहीं होने एवं लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 24.02.2014 द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यो के समयबद्ध सम्पादन एवं गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु निविदा प्रणाली में रू० 15.00 लाख तक के कार्य हेतु ही चयनित अनुबन्ध गठित किये जाने की सीमा निर्धारित होने के दृष्टिगत, विशेष व अपरिहार्य परिस्थितियों में रामनगर एवं काशीपुर के लोक निर्माण विभाग खण्डों में कराये जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को चयनित अनुबंध (Selection Bond) के माध्यम से कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	कार्य की प्रकृति	अनुमानित लागत रू0 (लाख में)
1	डी0बी0एम0/बी0सी0 कार्य	2124.00
2	सिविल आदि कार्य	557.00
3	रोड फर्नीचर आदि कार्य	386.00
	योग	**3067.00**

उक्त अनुमानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश में उल्लिखित धनराशि ही वास्तविक धनराशि होगी।

3- यह आदेश मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 02 मार्च, 2023 में पारित आदेश एवं तत्क्रम में मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 सं0-4/2/III/XXI/2023-सी0एक्स0 दिनांक 03 मार्च, 2023 की अनुमति से निर्गत किया जा रहा है।

4- यह आदेश दिनांक 26.03.2023 से 28.03.2023 तक होने वाले जी०-20 शिखर सम्मेलन के दृष्टिगत कराये जाने वाले उपरोक्त कार्यों के संदर्भ में हीं लागू होंगे तथा अन्य किन्हीं कार्यों हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

105262/2023

भवदीय,

Signed by Ramesh Kumar Sudhanshu
(रमेश कुमार सुधांशु)
Date: 09-03-2023 18:53:55
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
7. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून। निसचिव, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

(विनीत कुमार)
अपर सचिव।

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–I" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 351 /20 याता0'क'नियो0–1/2023 दिनांक– 15 .03.2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय/चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल/रूद्रपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर/काशीपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी